औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेष नीति–2004 के बिन्दु जिन पर शासनादेष निर्गत नही हुए है :–

क्र.सं.	नीति के प्रस्तर	संबन्धित विभाग
1	4.3.4 नई इकाइयों को 10 वर्ष हेतु कच्चे–माल की खरीद पर प्रदत्त व्यापार–कर के समतुल्य धनराशि तक विद्युत बिल पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।	**ऊर्जा विभाग**
2	3.4.2.9 समस्त नई ईकाइयों को दस वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटि से छूट दी जायेगी। प्रस्तर 4.5 में पायनियर घोषित की गई समस्त इकाईयों को यह छूट पन्द्रह वर्ष के लिए अनुमन्य होगी। शासनादेष विलम्ब से निर्गत किया गया किन्तु नियमावली न बनाये जाने के कारण इकाईयों को लाभ नही मिल रहा है।	**ऊर्जा विभाग**
3	8.4 सेवा क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों एवं निम्नलिखित श्रेणी में अच्छादित है। उपरोक्त सभी प्रयोजनों हेतु स्थापना की तिथि से 10 वर्ष हेतु इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से छूट दी जायेगी।	**ऊर्जा विभाग**
4	8.4 सेवा क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों एवं निम्नलिखित श्रेणी में अच्छादित है। उपरोक्त सभी प्रयोजनों हेतु पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विकास प्राधिकरणों / स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले विकास शुल्क, मलबा शुल्क से छूट देने के साथ–साथ 5 वर्षो हेतु हाउस टैक्स, वॉटर एवं सीवेज टैक्स व अन्य सभी टैक्सों / शुल्कों से छूट दी जायेगी।	**नगर विकास विभाग**
5	4.2.10 जनपदों के अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व पर यह दायित्व निर्धारित किया जायेगा कि एक निर्धारित फीस के साथ प्रार्थना पत्र देने पर लीज़–डीड में लगाये गये ज्युडीशियल स्टैम्प की वैधानिकता तथा नियमों के अनुसार पूरे मूल्य के स्टेम्प्स लगे होने की अनापत्ति 7 दिन में जारी करेंगे ताकि रजिस्ट्री तथा रजिस्ट्री के उपरांत विवादों से उद्यमियों को छुटकारा मिल सके। यदि अनापत्ति 07 दिन के उपरान्त तक जारी नही की जाती है तो स्वतः स्वीकृत मानी जायेगी। (डीम्ड एप्रूबल) यदि उक्त अनापत्ति प्राप्त करने के बाद सम्पत्ति की रजिस्ट्री की गयी है तो स्टैम्प के जाली होने अथवा स्टैम्प हेतु घोषित मूल्य या स्टैम्प की दर कम होने के विषय में रजिस्ट्री कराने वाले उद्यमी के ऊपर कोई दायित्व निर्धारित नहीं होगा।	**कर एवं निबंधन/राजस्व विभाग**
6	4.4 सभी नई इकाइयों को 10 वर्ष तक मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट उपलब्ध कराई जायेगी। मण्डी शुल्क से छूट अनुमन्य है किन्तु विकास सेस छूट नही दी गयी है।	**कृषि विपणन एवं कृषि विदेष व्यापार विभाग**
7	5.5.1 राज्य के प्रदूषण जोन को इंगित करते हुए एक एटलस तैयार किया जायेगा जिससे उद्योगों को स्थल चयन में सुविधा होगी।	**पर्यावरण विभाग**
8	5.6.11 चयनित औद्योगिक जनपदों में मुख्य औद्योगिक विकास अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, जिसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के कमिश्नर के अनुरूप विशेष अधिकार प्रदान किये जायेंगे।	**नियुक्ति विभाग**
9	5.6.14 ट्रक संघों को न्यूनतम ढुलाई दर निर्धारित करने का अधिकार नहीं होगा। ट्रक संघों द्वारा स्थानीय ट्रकों से इतर ट्रकों के प्रयोग रोकने पर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।	**गृह विभाग**
10	**3.2 औद्योगिक अवस्थापना विकास कोष की स्थापना–** 3.2.1 विद्युत आपूर्ति, जल–आपूर्ति, जल निकासी, दूरसंचार सुविधाएं जैसे– इण्टरनेट सम्बद्धता, यातायात सुविधाओं का विकास, विपणन व्यवस्था में सुधार, कण्टेनर डिपो व अन्य अवस्थापना सुविधाओं को चिन्हित करने हेतु विशेषज्ञों का चयन करना व उनके सर्वेक्षणों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि पर होने वाले व्ययों का वहन करना व इन अवस्थापना एवं विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसके दृष्टिगत् एक औद्योगिक अवस्थापना विकास कोष का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रथम	**औद्योगिक विकास विभाग**

		वर्ष में रु. 100 करोड़ बजट प्राविधान कराया जायेगा। इसी प्रकार का प्राविधान प्रतिवर्ष आगामी चार वर्षों में भी किया जायेगा। इस कोष से निम्न परियोजनाएं वित्त पोषित की जायेंगी।	
11	**3.3**	**औद्योगिक अवस्थापना विकास प्राधिकरण की स्थापना**	**औद्योगिक विकास विभाग**
12	3.3.1	प्रस्तर 3.2 के अन्तर्गत स्थापित कोष के समुचित प्रबंधन के लिए राज्य अवस्थापना विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। इस प्राधिकरण का नियन्त्रण एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक के अधीन होगा।	**औद्योगिक विकास विभाग**
13	3.3.2	प्राधिकरण को बाजार से पूँजी संग्रहित करने व प्रदत्त अवस्थापना सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रयोक्ता–प्रभार ;न्मत बिंतहमेद्ध वसूलने के अधिकार दिए जायेंगे।	**औद्योगिक विकास विभाग**
14	3.3.3	आवश्यकतानुसार प्रत्येक अवस्थापना सुविधा को स्पेशल–परपज़ वैहीकल/संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम/नितान्त निजी उपक्रम के माध्यम से स्थापित करने या निजी क्षेत्र के उपक्रम को इस प्रयोजनार्थ अनुदान देने एवं इन अवस्थापना सुविधाओं के प्रयोग के लिए प्रयोक्ता–प्रभार वसूलने के अधिकार ऐसे स्पेशल–परपज़ वैहीकल/संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम/नितान्त निजी उपक्रम को प्रतिनिधानित करने के अधिकार प्राधिकरण को दिए जायेंगे।	**औद्योगिक विकास विभाग**
15	3.4.6.4	प्रदेश के मुख्यालय पर अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार मेले की तर्ज पर निजी/संयुक्त क्षेत्र में एक बड़े भू–क्षेत्र पर ट्रेड सेंटर स्थापित कराया जायेगा। जहॉ पर औद्योगिक उत्पादों के डिस्प्ले के साथ विक्रय की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान की जायेगी। इस व्यापार केन्द्र से सिटी बस की सेवा, टेलीफोन, डाक घर, पुलिस चौकी, पक्के सम्पर्क मार्ग, जल निकासी, विद्युत प्रकाश आदि की सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी जिसका उपभोग व्यय ट्रेड सेंटर एथारिटी को देना होगा। तदोपरान्त आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार के ट्रेड सेंटरों की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना हेतु आवश्यक अनुदान अवस्थापना कोष से दिया जायेगा।	**औद्योगिक विकास विभाग**
16	3.4.6.5	औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के औद्योगिक क्षेत्रों में निजी/संयुक्त क्षेत्र में डिस्प्ले कम सेल्स सेंटर स्थापित कराये जायेंगे। इस केन्द्र पर औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के उत्पाद निर्धारित शुल्क पर रखने की व्यवस्था की जायेगी। इसकी स्थापना हेतु आवश्यक अनुदान अवस्थापना कोष से दिया जायेगा।	**औद्योगिक विकास विभाग**
17	3.4.6.7	नगरीय हाट तरीके के बाज़ार प्रथम चरण में कवाल टाउन्स में बनाये जायेंगे। जहॉ पर प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों, विशेष रूप से लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाईयों को डिस्प्ले एवं विक्रय दोनों की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। यह हाट निजी क्षेत्र के प्रबंधन में विकसित कराये जायेंगे तथा इनकी स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान अवस्थापना कोष से दिया जायेगा।	**औद्योगिक विकास विभाग**
18	3.5.3	लघु उद्योगों के उत्पाद में गुणवत्ता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक संगठनों तथा उद्यमियों द्वारा प्रदेश में प्रयोगशालाओं, मानकीकरण व शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस प्रकार को प्रयोगशालाओं (लेबोट्ररीज) की स्थापना पर अवस्थापना कोष से कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 100 लाख रूपये) अनुदान दिया जायेगा।	**औद्योगिक विकास विभाग**
19	3.4.7	राज्य सरकार द्वारा विभन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विशिष्ट ध्यान देते हुए पुलिस थानों/ चौकियों का सृजन किया जायेगा। इन पुलिस थानों/ चौकियों पर स्टाफ की बढोत्तरी करने व कम्पयूट्रीकरण, वाहन व अन्य उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट घ्यान दिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु आवश्यकता पड़ने पर धनराशि अवस्थापना विकास कोष से भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।	**औद्योगिक विकास विभाग/गृह विभाग**

20	3.4.8.7	उद्योग निदेशालय के अधीन औद्योगिक आस्थानों को फ्री–होल्ड किया जायेगा तथा उद्यमियों से प्राप्त फ्री–होल्ड प्रीमियम एवं एकमुश्त मैन्टीनेंस प्रीमियम वसूल कर ''औद्योगिक आस्थान अवस्थापना विकास फण्ड'' सृजित कर उद्यमियों की एक समिति बनाकर उसके निस्तारण पर रखा जायेगा।	**लघु उद्योग विभाग/औद्योगिक विकास विभाग**
21	3.5	**निजी क्षेत्र को उपादान व्यवस्था**	**औद्योगिक विकास विभाग**
22	3.5.1	निजी क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नानुसार अनुदान अवस्थापना कोष से दिया जायेगा : (क) निजी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी व जैव प्रौद्योगिकी से सम्बंधित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में हुए कुल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.5 करोड़ तक। (ख) समस्त अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में हुए कुल पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2.5 करोड़ तक। (ग) ऐसे निजी औद्योगिक आस्थान जहॉ न्यूनतम 25 इकाईयॉ कार्यरत हैं। (घ) कन्वेशन हाल, मल्टीमीडिया सेंटर, प्रदर्शनी स्थल तथा मनोरंजन की सुविधाओं से युक्त आधुनिक व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना हेतु निम्नानुसार अनुदान दिया जायेगा :– (1) 5,000 वर्ग मीटर या अधिक के ट्रेड सेन्टर पर 50 प्रति शत अधिकतम रू0 50 लाख तक। (2) 10,000 वर्ग मीटर या अधिक के ट्रेड सेन्टर पर 50 प्रति शत अधिकतम रू0 100 लाख तक।	**लघु उद्योग विभाग/औद्योगिक विकास विभाग**
23	3.5.2	औद्योगिक कलस्टर में औद्योगिक संगठनों द्वारा संस्तुत साझा सुविधाओं को विकसित करने हेतु इनकी लागत पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2 करोड़ प्रति क्लस्टर का अनुदान दिया जायेगा।	**लघु उद्योग विभाग/औद्योगिक विकास विभाग**
24	3.5.3	लघु उद्योगों के उत्पाद में गुणवत्ता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक संगठनों तथा उद्यमियों द्वारा प्रदेश में प्रयोगशालाओं, मानकीकरण व शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस प्रकार को प्रयोगशालाओं (लेबोट्रीज) की स्थापना पर अवस्थापना कोष से कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 100 लाख रूपये) अनुदान दिया जायेगा।	**लघु उद्योग विभाग/औद्योगिक विकास विभाग**
25	3.5.4	उपरोक्त योजनाओं हेतु यदि भारत सरकार से भी अनुदान प्राप्त होता है तो भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान भी उपरोक्त सीमाओं की गणना के लिए सम्मिलित किया जायेगा।	**लघु उद्योग विभाग/औद्योगिक विकास विभाग**
26	3.5.5 3.5.6	आवश्यकता पडने पर निजी क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं यथा औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापार केन्द्रों/ थोक बाजारों, कॉन्फ्रेंस हॉल/प्रदर्शनी केन्द्रों, वेयरहाऊस, उपरगामी सेतु, पुलो, बाईपास, सड़को आदि के विकास हेतु केस–टू–केस बेसिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रकिया से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त समस्त अनुदानों हेतु राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं हेतु अलग से विस्तृत मानक व शर्तें निर्धारित करते हुए शासनादेश निर्गत् किये जाएंगे। उन मानकों व शर्तों को पूरा करने वाली अवस्थापना सुविधाओं को ही उपरोक्त अनुदान देय होंगे।	**लघु उद्योग विभाग/औद्योगिक विकास विभाग**
27	11.1 11.1.1	**रूग्ण इकाईयों के पुनर्वास की नीति** ऐसे उद्योगों को, जो मूलतः आर्थिक दृष्टि से वायबल हैं किन्तु विभिन्न	**लघु उद्योग विभाग**

	कारणों से रूग्ण हो गए हैं, को पुनर्वासित व पुनर्जीवित किया जायेगा। ऐसी इकाईयों का विस्तृत डाटाबेस तैयार कराकर उनके पुनर्वास हेतु विशेष पैकेज तैयार कराया जायेगा।	
28	11.2 **लघु उद्योग पुनर्वासन परिषद की स्थापना** 11.2.1 लघु एवं कुटीर उद्योगों की बढ़ती हुई रूग्णता तथा बीमार इकाइयों के पुनर्वासन की समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग पुनर्वासन परिषद की स्थापना करायी जायेगी। 11.2.2 इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में कन्सल्टेण्ट को अनुमोदित करते हुए सूची निर्गत की जायेगी। यह कन्सल्टेण्ट बोर्ड की अपेक्षानुसार पुनर्वासन पैकेज तैयार करायेंगे जो सम्बंधित विभागों को मान्य होगा। कन्सल्टेण्ट का परामर्श–शुल्क 50 प्रति शत बोर्ड द्वारा तथा 50 प्रति शत औद्योगिक इकाई द्वारा वहन किया जाएगा। 11.2.3 प्रथम चरण में 50 लाख रुपये से ''पुनर्वासन–निधि'' की स्थापना कराई जाएगी। पुनर्वासन बोर्ड के सफल क्रियान्वयन हेतु लघु उद्योग पुनर्वासन अधिनियम पारित किया जाएगा। जिन इकाइयों के पुनर्वासन पैकेज बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर दिये जाएंगे, उन्हें तदानुसार सुविधायें अनुमन्य होंगी।	**लघु उद्योग विभाग**
29	6.1 **निर्यातक चार्टर** 6.1.1 राज्य सरकार निर्यातको की ओर अपने दायित्वों के स्पष्ट निर्धारण व निर्यात प्रोत्साहन की दिशा में उठाये गये कदमों के स्पष्ट प्रतिपादन के लिए निर्यातक चार्टर बनायेगी। गुणवत्ता, पूंजी निवेश और वार्षिक टर्नओवर के आधार पर श्रेणीबद्ध निर्याताकों को कतिपय करों व स्टाम्प ड्यूटी में यथानिर्धारित छूट/ड्राबैक अनुमन्य की जायेगी। 6.3.2 आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद व लखनऊ में अतिरिक्त/उप निर्यात आयुक्त के कार्यालयों की स्थापना की जायेगी। इन पदों पर एम0बी0ए0/एम0ए0(अर्थशास्त्र) की शैक्षिक योग्यता वाले नवयुवकों की नियुक्ति की जायेगी, जिनका मुख्य उद्देश्य निर्यातकों की समस्त समस्याओं का निर्यात आयुक्त के माध्यम से निराकरण कराना होगा। 6.4 **<u>फ्रेट सब्सिडी</u>** 6.4.1. निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त कच्चे माल के आयात पर भी फ्रेट सब्सिडी अनुमन्य की जायेगी। 6.5 **<u>विपणन सहायता</u>** 6.5.1 निर्यातकों को उपलब्ध कराई जा रही विपणन सहायता निर्यातकों के अतिरिक्त एक्सपोर्ट हाउसेज़ के लिए भी अनुमन्य की जायेगी।	**लघु उद्योग विभाग**
30	2.2.10.1 वर्तमान निवेशों के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है, परन्तु अनेक ऐसे उद्योग हैं (विशेष तौर से लघु सेक्टर में) जो विभिन्न कारणों से अनुत्पादक अथवा रूग्ण हो गए हैं। राज्य इस आवश्यकता को, दृढ़ता से महसूस करता है कि इन उद्योगों को पुनः उत्पादन की मुख्य धारा में वापस लाया जाए। राज्य विद्यमान उद्योगों, को न केवल प्रतिस्पर्धा में जीवित रहने, बल्कि पुष्पित एवं पल्लवित होने में पूर्ण सहयोग देगा। राज्य का यह विश्वास है कि वर्तमान औद्योगिक इकाइयों की जीवन्तता ही, नये निवेश को आकर्षित करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस ओर विशेष प्रयास करने के लिए लघु उद्योग पुनर्वासन बोर्ड की स्थापना की जायेगी।	**लघु उद्योग विभाग**
31	3.4.6.6 प्रदेश की क्रय नीति् को वैधानिक रूप दिया जायेगा तथा टेण्डर जारी करने वाले विभागों का यह वैधानिक दायित्व होगा कि टेण्डर हेतु प्रकाशित सूचना में अमानत धनराशि व जमानत धनराशि जमा करने में प्रदेश की इकाईयों को छूट प्रदान करने, मूल्य वरीयता तथा क्रय वरीयता दिये जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख प्रकाशित करें ताकि उद्यमी उसी के अनुसार टेण्डर जमा कर लाभ उठा सके।	**लघु उद्योग विभाग**